कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (0) 07836-232227, (R)232230, (F) 233564 EMail:-dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक / तक.क. / 678 बैकुण्ठपुर, दिनांकः / 17 / 05 / 2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd. Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Diversion under Chhattisgarh State Area 3.309 Ha.**

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ. 1980) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–908A/10 रायपुर दिनांक 03.01.2023

2. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / न.क्र.–149 / 2023 / 175 दिनांक 05.01.2023

विषयांकित प्रकरण के अनुक्रम मे अपर प्रधान मुंख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक – 1 द्वारा ऑनलाईन 5 एवं ऑफलाईन 7 बिन्दुओं की आपत्तियों की पूर्ति किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देशन के अनुपालन में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन से संबधित आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया गया है।

ऑनलाईन त्रुटियॉं :–

क्रं.	आपत्ति	निराकरण
1	ऑनलाईन कॉलम नं. 8 (iii) एवं (iv) में नं. का उल्लेख कर जानकारी अपलोड किया गया है परन्तु वनमण्डलाधिकारी के प्रपत्र – 3 के बिन्दु 10 में Eco-Sensitive Zone से 10 कि0मी0 के दायरे में है का उल्लेख किया गया है, जिससे सुधार किया जाना होगा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत लिया जाना होगा।	आपत्तिनुसार ऑनलाईन कॉलम नं. (iii) एवं (iv) में नं. के एवज में प्रपत्र – 3 के बिन्दु क्रमांक 10 में Eco-Sensitive Zone से 10 कि0मी0 के दायरे में आने वाले क्षेत्र के संबंध में उल्लेख कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत प्राप्त करने हेतु लेख किया गया है। **अभिमत अप्राप्त है।**
2	Time Line में मुख्य वन संरक्षक का हस्ताक्षर नही है, हस्ताक्षरित संलग्न करें।	मुख्य वन संरक्षक महोदय से संबंधित है।
3	ऑफलाईन लिये गये आपत्तियों को वेब पोर्टल में अपलोड जानकारी से अपडेट किया जाना होगा।	ऑफलाईन में लिये गये आपत्ति अनुसार वेब पोर्टल में अपलोड किया गया है। **जानकारी**

		संलग्न है।
4	ऑनलाईन Form-A Part-II के कॉलम नं. 16 में भाग – 2 अपलोड नही है, जिसे अपलोड किया जावें।	अपलोड किया गया। ऑनलाईन अपलोड की जानकारी संलग्न है।
5	ऑनलाईन Form-A Part-II के कॉलम नं. 05 से 13 तक के बिन्दुओं से संबधित वचन पत्र एवं अतिरिक्त जानकारी Remark कॉलम में अपलोड किया जावें।	Form-A Part-II के कॉलम नं. 05 से 13 के बिन्दुओं से संबधित जानकारी को Remark कॉलम में अपलोड किया गया है।

ऑफलाईन त्रुटियाँ :–

क्रं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रकरण में आवेदित वनभूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग – 2 में उक्त वनभूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।	स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग में प्रस्तावित भूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ0ग0 शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार पूर्ण कर संलग्न है। **संलग्न पेज क्रमांक 64 से 66 तक।**
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 48 कंडिका – 7 में प्रपत्र – 4 में वनमण्डलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है, किन्तु उक्त प्रमाण – पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र – 4 प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 48 के कंडिका – 07 में प्रपत्र – 04 में प्रमाणीकृत हस्ताक्षर युक्त जानकारी संलग्न है। **संलग्न पेज क्रमांक 55**
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 58 कंडिका – 09, न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण – पत्र में वनमण्डलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है, किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 58 के कंडिका – 09 में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर युक्त जानकारी संलग्न है। **संलग्न पेज क्रमांक 58**
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 59 कंडिका – 10, अधिनियम उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित हैं। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 59 कंडिका – 10 अनुसार अधिनियम उल्लंघन के संबंध में कृत्त कार्यवही की हस्ताक्षर युक्त जानकारी संलग्न है। **संलग्न पेज नं. – 59**
5	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 69ए, कंडिका – 11 के प्रपत्र – 3, वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है। स्पष्ट नाम एवं पद नाम लिखा जावे ।	निर्देशानुसार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर युक्त जानकारी संलग्न है। **संलग्न पेज नं. – 69F**
6	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 120, कंडिका – 20 में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क रू.6000/– एवं प्रसंस्करण शुल्क रू. 29000/– कुल राशि रू. 35000/– चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है, किन्तु चालान की प्रति संलग्न नहीं की गई है। चालान की प्रति संलग्न करें।	कंडिका 20 अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा भुगतान किया गया पंजीयन शुल्क रूपये 6000/– एवं प्रसंस्करण रूपये 29000/– कुल राशि रूपये 35000/– का कोषालय में जमा करने का चालान की छायाप्रति संलग्न है। **संलग्न पेज नं. 120AB**

7	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 121, कंडिका – 21 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होता है। किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना प्रमाणित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में आरक्षित वन रकबा 0.468 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 0.727 हे. कुल रकबा 1.195 हैं. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आने क उल्लेख किया गया है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होगा। अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें	प्रस्तावित क्षेत्र में से आरक्षित वन का रकबा 0.468 हे., संरक्षित वन का रकबा 0.727 कुल रकबा 1.195 हे. क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि में आता है। इस क्षेत्र के संबंध में दिये गये आदेश के परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0 रायपुर से अभिमत प्रदाय करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.क./166 दिनांक 30.01.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है। अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पृथक से भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतः उक्त आपत्तियों से संबधित अभिलेखों की 4 प्रतियॉ पुनः अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./ **बैकुण्ठपुर, दिनांक / / 2023**
प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0 अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अमन कुमार सिंह, असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियों डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ0ग0)।

Sd/-
वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

F:\Working Plan\YEAR 2023\DM Memo\DM 2023.docx